न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 40/2012

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2012/00007

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 जीवा पुत्र रामचन्द्र, जाति–बिश्नोई, निवासी–सरनाउ, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर		1 वजा पुत्र नारणा, कौम–रेबारी, साकिन–सरनाउ, तहसील–सांचौर जिला–जालोर 2 तहसीलदार सांचौर तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 12.10.2012

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालोत उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से राज पेरोकार उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 03.03.2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के मौजा सरनाउ पटवार हल्का सरनाउ में खेत खसरा संख्या 376 रकबा 2.61 हैक्टेयर किस्म जाव दोयम व चाही दोयम की भूमि आई हुई है। उक्त खेत में प्रार्थी की रहवासीय ढ़ाणी भी स्थित है। उक्त ढ़ाणी व खेत में जाने के लिए आवागमन का रास्ता प्रयोजनार्थ की भूमि प्रार्थी के उपयोग के लिए राजस्व रेकर्ड में नही है। उक्त रास्ता भूमि हेतु मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है। उक्त रास्ते की आवश्यकता प्रार्थी को अत्यन्त है। जिससे राजस्व अभिलेख में रास्ता सुविधा के लिए भूमि अभिलिखित की जावे तदर्थ मैं प्रार्थी धारा 251 'ए' की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधिनियम नंबर 3 (1955) के तहत निवेदन करता है। ग्राम सरनाउ के खसरा संख्या 381 रकबा 3.02 हैक्टेयर में से 0.04 हैक्टैयर चौड़ाई में 20 फीट भूमि सलंग्न नक्शे में मार्क 'ए' से 'बी' भूमि प्रार्थी/आवेदक के रास्ता प्रयोजनार्थ अत्यन्त आवश्यकता व आवागमन उपयोग की सुविधाजनक है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ते की भूमि [illegible] रास्ते से आवेदक के घर तक पहुंचने का निकटतम रूट का रास्ता नहीं है। जिससे उक्त भूमि को आवेदक के उपयोग उपभोग आवागमन रास्ते हेतु सुविधा राजस्व अभिलेख में अभिलिखित की जावे। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त रास्ते की भूमि आवेदक/प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

समाविष्ट करने वाली इस भूमि के संबंध में अभिघृति निर्वापित की जाकर रास्ता उपयोग के रूप में अभिलिखित किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दिनांक 12.10.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी उपस्थित आया और जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सरनाउ के खसरा संख्या 381 में से प्रार्थी ने कभी आवागमन नहीं किया है न ही मौके पर कोई रास्ता चलता था, न ही है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। उक्त भूमि को छोटे छोटे टुकडों में विभक्त करने, काश्त की सुविधा में सुविधा पैदा करने के आशय से हमे तंग परेशान करने हेतु मनगंढत, निराधार प्रार्थना–पत्र पेश किया है। उक्त प्रकरण अन्तर्गत धारा 251 'ए' का नहीं होकर उक्त प्रावधानों की श्रेणी में नहीं आता है तथा प्रार्थी द्वारा कथित रास्ता अप्रार्थी के खेत में मौके पर नहीं है तथा प्रार्थी ने कथित स्थान से कभी आवागमन नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता अत्यन्त सुविधाजनक नहीं है तथा निकटतम रास्ते का नहीं होकर दुरस्तम रूट का है जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी के ग्राम सरनाउ के नवीन खसरा संख्या 382 में से जवाब के साथ नक्शा परिशिष्ठ 'ब' में लाल स्याही के स्थान पर नजदीक व सुविधाजनक रास्ता रकबा 0.03 हैक्टेयर का मौके पर मौजूद है। उक्त रास्ता स्थान से प्रार्थी आवागमन करते है तथा इसी स्थान से रास्ते के रूप में उपयोग करते है, उक्त भूमि बालका, वचनाराम पिसरान नारणा, भानाराम, मफाराम पिसरान् गणेशाराम राजादेवी पत्नी गणेशाराम, सवा पुत्र मेथी, तगु पत्नी सोना, जातियान–रेबारी, निवासीगण–सरनाउ वगैरह के नाम दर्ज है। प्रार्थी वर्तमान में भी इसी स्थान से आवागमन करते है। प्रार्थी अप्रार्थी के खेत से किसी प्रकार का रास्ता प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी नहीं है। जिससे प्रथम प्रार्थी द्वारा चाहा गया आवेदन गलत व निराधार व दूर रूट का होने व मौके पर कोई रास्ता चालू नहीं होने से प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है। जवाब दावे के साथ नक्शा परिशिष्ठ 'ब' पेश किया है जिसे जवाब का अंग माना जाकर साथ पढ़ा जावें। ग्राम सरनाउ के नवीन खसरा संख्या 382 से प्रार्थी आया जाया करते है तथा मौके पर ही उक्त खसरों में रास्ते के आलामात मौके पर मौजूद है, इस स्थान से रास्ता आवागमन प्रार्थी का चालू है जो बिल्कूल नजदीक, निकटतम, सुविधाजनक रूट का है लेकिन तथ्यों को छुपाकर अप्रार्थी को तंग परेशान करने के लिए स्थानीय प्रभावी लोगों के बहकावे में आकर गलत व मनगंढ़त, आधारहीन व कानून की मंशा के विरूद्व प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो कानूनी पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र गलत निराधार व कानूनी प्रावधानों के विपरित होने से खारिज किया जावें। प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ता अत्यंत असुविधाजनक व निकटतम रूट का नहीं होने से व प्रार्थी के आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 382 में से रकबा 0.03 हैक्टेयर का बिल्कूल नजदीक व सुविधाजनक का रास्ता स्थित होते हुए भी उक्त तथ्यों को छुपाकर अप्रार्थी को तंग परेशान करने, खेतों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करने, काश्त की सुविधा में दुविधा पैदा करने के आशय से धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित प्रार्थना–पत्र पेश किया जो कानूनी पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्षक सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा संख्या 376 रकबा 2.61 हैक्टेयर में प्रार्थी की रहवासीय ढाणी स्थित है। उक्त ढाणी व खेत में आने जाने के लिए आवागमन का रास्ता प्रयोजनार्थ की भूमि प्रार्थी के उपयोग के लिए राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। उक्त रास्ते की आवश्यकता प्रार्थी को अत्यंत है जिससे राजस्व अभिलेख में रास्ता सुविधा के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 381 रकबा 3.02 हैक्टेयर में से 0.04 हैक्टेयर भूमि चौड़ाई में 20 फीट भूमि सलंग्न नक्शे में मार्क 'ए' से 'बी' भूमि प्रार्थी/आवेदक के रास्ता प्रयोजनार्थ अत्यंत आवश्यकता है व आवागमन उपयोग की सुविधाजनक है इसके अलावा प्रार्थी के अन्य कोई रास्ते की भूमि कटाण रास्ते से आवेदक के घर तक पहुंचने का निकटतम रूट का रास्ता नहीं है। अतः उक्त भूमि को आवेदक के [redacted] उपभोग आवागमन रास्ते हेतु सुविधा राजस्व अभिलेख में अभिलिखित करने का आदेश फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सरनाउ के खसरा संख्या 381 में से प्रार्थी ने कभी आवागमन नहीं किया है न ही मौके पर कोई रास्ता चलता था, न ही है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। उक्त भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करने, काश्त की सुविधा में दुविधा पैदा करने के आशय से अप्रार्थी को तंग परेशान करने हेतु मनगंढत, निराधार प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रार्थी के ग्राम सरनाउ के नवीन खसरा संख्या 382 में से नजदीक व सुविधाजनक रास्ता रकबा 0.03 हैक्टेयर का मौके पर मौजूद है, उक्त रास्ता स्थान से प्रार्थी आवागमन करते है तथा इसी स्थान से रास्ते के रूप में उपयोग करते है। उक्त भूमि बालका, वचनाराम पिसरान नारणा, भानाराम, मफाराम [redacted] पिसरान गणेशाराम, राजादेवी पत्नी गणेशाराम, सवा पुत्र मेथी, तगु पत्नी सोना वगैरह के नाम दर्ज है। प्रार्थी वर्तमान में भी इसी स्थान से आवागमन करते है। प्रार्थी अप्रार्थी के खेत से किसी प्रकार का रास्ता प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र गलत निराधार व कानूनी प्रावधानों के विपरित होने तथा अप्रार्थी के खेतों के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करने तथा कानूनी पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात् एवं मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निम्नलिखित कानूनी प्रावधान है :–

251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:36 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with OKEN Scanner

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(I) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

[redacted] जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' में यह आज्ञापक विधिक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जा सकता है कि जबकि उसकी आत्यांतिक आवश्यकता हो, साथ ही कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो। भू अभिलेख निरीक्षक सरनाउ की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 25.11.2024 व उसके साथ प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार मार्क ए से बी तक की लंबाई 105 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर यानि जुमले रकबा 0.0630 हैक्टेयर राजस्व नक्शा से मिलान करते हुए बनता है। मौके पर कोई निर्माण वगैरह नहीं है, अर्थात् प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है जो लाल रंग से दर्शाया गया है। खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

376 में वर्तमान में आवागमन हेतु में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 381 में रास्ता की मांग की गई जो उचित है जो न्यूनतम दूरी पर है जो राजकीय खसरा संख्या 515 से लगता हुआ है। प्रस्तावित भूमि पर कोई वृक्ष/पौधे नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि सरहद मौजा सरनाउ के खसरा संख्या 381 रकबा 3.02 हैक्टेयर में से भू–अभिलेख निरीक्षक सरनाउ द्वारा प्रस्तावित 105 मीटर लम्बे एवं 6 मीटर चौड़े अर्थात् रकबा 0.0630 हैक्टेयर भाग की खातेदार की अभिधृति निर्वापित करते हुए, खातेदारी भूमि में से कम करते हुए सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधिसंगत समझते है।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक सरनाउ की मौका जांच रिपोर्ट के प्रस्तावित नजरी नक्शे अनुसार ग्राम सरनाउ के खसरा संख्या 381 रकबा 3.02 हैक्टेयर में से 105 मीटर लम्बाई एवं 6 मीटर चौड़ाई अर्थात् कुल रकबा 0.0630 हैक्टेयर भूमि खातेदार की अभिधृति निर्वापित करते हुए, इसका रकबा अप्रार्थी की खातेदारी भूमि से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70 (i) (ii) (क) के अनुसार वर्तमान डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि की गणना कर निर्धारित प्रतिकर राशि प्रार्थी से प्राप्त कर खसरा संख्या 381 के खातेदार को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई हेतु भुगतान करावें। प्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। अप्रार्थी खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखे जब तक की ऐसे खातेदार/वारिशान राशि प्राप्त न कर लें। इस राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:36 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner